Shodh International: A Multidisciplinary International Journal (In Hindi)
Vol. 3, Issue 1 - 2018

भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त

डॉ अजय बहादुर सिंह*

शोध सार

वर्तमान समय में भ्रष्टाचार एक बहुचर्चित विषय बन गया है और सीधा साधा दबा हुआ व्यक्ति भी उसकी बात करते हुए कटुता से भर जाता है। आज स्थिति यह है कि हमारे देश में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार भारतीय लोक प्रशासन के लिए नासूर बन गया है। पद प्राप्ति और राजनीतिक पहुंच के पीछे अन्धी दौड़ ने देश में भ्रष्टाचार को बहुत बढ़ावा दिया है और आज यह लाइलाज कैंसर के समान हो गया है। विदेशी विद्वान टॉन ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि भ्रष्टाचार द्वारा कार्य सिद्ध करना भारत में एक सामान्य और सर्वत्र फैली हुई बीमारी है। इस बीमारी के समुचित उपचार के लिए Ombudsman जैसी संस्था की आवश्यकता है।

संक्षिप्त शब्दः भ्रष्टाचार, सर्वत्र, बहुचर्चित, Ombudsman, राजनीतिक पहुँच।

परिचय

आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इस बात की आधिकाधिक आवश्यकता महसूस की जा रही है कि देश में एक ऐसा स्वतंत्र और निष्पक्ष अभिकरण होना चाहिए जो प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के मामलों पर निर्भीकतापूर्वक विचार कर सके तथा इस संबंध में जनता की शिकायतों की समुचित छानबीन कर उन्हें दूर करने की दिशा में प्रभावशाली भूमिका निभा सके और जनता में प्रशासन के प्रति निरन्तर गिरते जा रहे विश्वास को पुनः उपर उठा सके। Ombudsman एक ऐसा ही स्वतंत्र और निष्पक्ष अधिकारी/अभिकरण होता है जो लोक सेवकों के विरूद्ध शिकायत सुनता है, संबंधित विषय की जाँच पड़ताल करता है और उचित कार्यवाही के लिए सिफारीश करता है। Ombudsman संस्था स्वीडेन की उपज है जहाँ इसे सर्वप्रथम 1809 के संविधान के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इसके बाद फिनलैण्ड़ (1918), डेनमार्क (1954) और नार्वे (1961) में स्थापित हुआ। स्वीडेन में पहली बार स्थापित यह संस्था अपने देश के प्रशासनकीय एवं जनप्रतिनिधियों के कार्यकलापों पर निगरानी रखती है, उनके खिलाफ जनता द्वारा दर्ज शिकायतों की जाँच करती है और दोष सही पाये जाने पर उनके खिलाफ कार्यवाही करती है या उसकी व्यवस्था करती है। 1967 के मध्य तक यह संस्था किसी न किसी रूप में 12 देशों में अपनायी गयी। आज 60 से अधिक देशों में यह संस्था किसी न किसी रूप में सक्रिय है। बस विभिन्न देशों में इसके नाम व अधिकार में अंतर है। यह संस्था जनता के अंतःकरण का ऐसा संस्थागत रूप है जो जीवित लोकतंत्र की जरूरत बनकर आम जनता की आवाज के रूप में संसद में सत्ता पक्ष के कान खोले और विपक्ष को जागरूक व आलोचनात्मक भूमिका के लिए विवश करें। लोकपाल Ombudsman का भारतीय प्रतिमान है।

*सहायक प्राध्यापक, स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग (झारखण्ड) 825301.

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. **ISSN: 2581-3501**

भारत में लोकपाल व लोकायुक्त की स्थापना के लिये किये गये प्रयास

वर्तमान समय में भ्रष्टाचार एक बहुचर्चित विषय बन गया है और सीधा साधा दबा हुआ व्यक्ति भी उसकी बात करते हुए कटुता से भर जाता है। आज स्थिति यह है कि हमारे देश में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार भारतीय लोक प्रशासन के लिए नासूर बन गया है। पद प्राप्ति और राजनीतिक पहुंच के पीछे अन्धी दौड़ ने देश में भ्रष्टाचार को बहुत बढ़ावा दिया है और आज यह लाइलाज कैंसर के समान हो गया है। विदेशी विद्वान टॉन ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि भ्रष्टाचार द्वारा कार्य सिद्ध करना भारत में एक सामान्य और सर्वत्र फैली हुई बीमारी है। इस बीमारी के समुचित उपचार के लिए Ombudsman जैसी संस्था की आवश्यकता है। इस क्रम में सर्वप्रथम राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति ने अपनी रिपोर्ट में Ombudsman की स्थापना की सिफारीश की। अप्रैल 1963 में तत्कालीन लोकसभा के निर्दलीय सदस्य डॉ लक्ष्मीमल सिंधवीं ने एक प्रस्ताव पेश किया और इस प्रकार की संस्था की मांग की। उन्होंने Ombudsman को पीपुल्स प्रोक्यूरेटर के नाम से सम्बोधित किया लेकिन यह प्रस्ताव अन्य संसद सदस्यों का ध्यान आकृष्ट नहीं कर सका। उसके पश्चात् उन्होंने पुनः 1965 मे ऐसी मांग को दोहराते हुए प्रस्ताव किया जिसमें यह कहा था कि उपयुक्त जाँच मशीनरी की स्थापना की जाय जिससे जनता की शिकायते कम हो सके।

15 जुलाई 1963 को भारत के मुख्य न्यायाधीश पी0वी0 गजेन्द्रगड़कर ने भारतीय लोक प्रशासन के दीक्षांत भाषण में भाषण दते हुए Ombudsman की स्थापना पर बल दिया था। तत्पश्चात् अक्टुबर 1963 में Madrass Provincial Bar Council में भी Ombudsman की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा की गयी।

उपर्युक्त चर्चाओं और मांगों को देखते हुए भारत में लोकतंत्र की जड़ों को खोखला कर रहे भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए पहला प्रयास 60 के दशक में उस समय हुआ जब मोरार जी देसाई की अध्यक्षता में सरकार ने 5 जनवरी 1966 को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। आयोग ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए द्वि–स्तरीय प्रणाली के गठन की अनुशंसा की जिसमें केन्द्र स्तर पर लोकपाल एवं राज्य स्तर लोकायुक्तों की नियुक्ति की सिफारीश की गयी।

परिणामस्वरूप सरकार ने 1968 में लोकपाल विधेयक प्रस्तावित किया। विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्य सभा में भेजा गया लेकिन विधेयक पारित होने से पूर्व ही लोक सभा भंग हो गयी और विधेयक कानून नहीं बन सकी। इस विधेयक में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों को लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया था।

1971 में श्रीमति इंदिरा गाँधी ने फिर इस बिल को पेश किया। इसे किसी कमिटि को नहीं सौंपा गया लेकिन पांचवीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद यह एक बार फिर रद्द हो गया। तीसरी कोशीश श्री मोरार जी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी ने की। 01 जुलाई 1977 में पेश किये गये इस बिल में प्रधानमंत्री को तो नहीं रखा गया था, लेकिन सांसदों को इसके दायरे में लाया गया। जॉइंट सेलेक्ट कमिटि ने इस बिल पर अपनी सिफारिशें दी, लेकिन उसके बाद छठी लोकसभा भंग हो गयी।

पुनः 1985 में राजीव गाँधी के कार्यकाल में एक बार फिर लोकसभा में यह बिल आया और जॉइंट सिलेक्ट कमिटि के पास भेजा गया। इस बिल में कई त्रुटियाँ थी, जिसे ठीक कर नया विधेयक लाने की मंशा से 1988 में वापस ले लिया गया।

1989 में श्री0 वी0 पी0 सिंह के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा की सरकार ने इस बिल को लोकसभा में रखा और इसे संसदीय स्थायी समिति के पास भेज दिया गया। लेकिन लोकसभा भंग हो जाने के कारण एक बार फिर यह बिल पास न हो सका।

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. ISSN: 2581-3501

श्री देवगौड़ा के नेतृत्व में 17 दिसम्बर 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार ने इस बिल को पुनः पेश किया। 1997 में संसदीय समिति ने इस बिल पर अपनी कुछ सिफारिशें भेजी। इसी बीच लोकसभा भंग हो गया और यह बिल पास न हा सका।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने इस बिल को दो बार पेश किया। एक बार 12 वीं लोकसभा में 30 अगस्त 1998 को और दुबारा 13 वीं लोकसभा में 14 अगस्त 2001 को। इससे पहले की बिल पास हो पाता दोनों ही बार लोकसभा भंग हो गयी। श्री वी0 पी0 सिंह, श्री देवगौड़ा और श्री वाजपेयी प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाने के हिमायती थे। इसमें से किसी भी बिल में न्यायपालिका को लोकपाल के दायरे में लाने का प्रस्ताव नहीं किया गया था।

सन् 2005 एवं 2008 में यूपीए (UPA) सरकार द्वारा अलग अलग रूप में बिल को प्रस्तुत किया गया लेकिन दलगल राजनीति एवं कुछ विवदास्पद बिंदुओं पर सहमति न बनने की बजट से परिणाम वही ढाल के तीन पात रहे।

21 वीं सदी के प्रारंभ से ही भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर कई घोटाले प्रकाश में आने लगे जिससे राजनीतिज्ञों एवं लोक सेवकों का असली चेहरा प्रकट होने लगा। जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार का बोल बाला दिखाई पड़ने लगा। फलतः भ्रष्टाचार से ग्रस्त जनता ने अप्रैल 2011 में गाँधीवादी नेता श्री अन्ना हजारे के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया। 05 अप्रैल 2011 को दिल्ली के जंतर मंतर पर अन्ना हजारे ने लगातार 13 दिनों तक अनशन करके सत्ता पक्ष को लोकपाल विधेयक लाने को मजबूर कर दिया। परिणामतः सरकार ने लोकपाल का नया प्रारूप बनाने हेतु अप्रैल 2011 में ही नागरिक संस्थाओं और केन्द्रीय मंत्रियों की समान सदस्यता वाले एक दस सदस्यीय समिति का गठन किया। परन्तु सिविल सोसाइटी द्वारा तैयार किये गये विधेयक से इत्तर बिल जिसे सरकारी लोकपाल विधेयक कहा गया, को संसद में 4 अगस्त 2011 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। विरोध स्वरूप अन्ना हजारे ने घोषणा की कि वह 16 अगस्त को फिर से आमरण अनशन करेंगे यदि लोकपाल विधेयक भारत की संसद द्वारा 15 अगस्त तक पारित नहीं किया गया।

समाज के प्रत्येक जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र के लोगों ने अन्ना हजारे का समर्थन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि जुलाई 2011 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने लोकपाल विधेयक को अनुमोदित कर संसद की स्वीकृति हेतु भेजा। 27 दिसम्बर 2011 को लोकसभा ने पारित कर दिया। 29 दिसम्बर 2011 को लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक राज्य सभा में पेश किया गया जिसे बाद में 07 मई 2012 को राज्य सभा की प्रवर समिति को सौंप दिया गया। प्रवर समिति ने विधेयक में कई संशोधन किये तथा राज्य सभा को लौटा दिये। 17 दिसम्बर 2013 को राज्य सभा द्वारा इस विधेयक में संशोधन कर पारित कर दिया गया। चूँकि इस विधेयक में राज्य सभा द्वारा कई संशोधन किया गया, अतः लोकसभा द्वारा इसे पुनः पारित कर कानूनी रूप दे दिया। 01 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर अपनी सहमति प्रदान कर दी। इस तरह साढ़े चार दशक अर्थात् लगभग 45 वर्षों के बाद लोकपाल का स्वरूप तय हुआ। निश्चित रूप से इसका श्रेय समाजसेवी अन्ना हजारे को जाता है। संसद द्वारा पारित इस विधेयक को जनलोकपाल विधेयक नाम दिया गया।

लोकपाल संरचना

- लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष (चेयरपर्सन) समेत अधिकतम 8 सदस्य होंगे।
- लोकपाल संस्था का चेयरपर्सन या तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या असंदिग्ध सत्यनिष्ठा व प्रकाण्ड़ योग्यता का व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास भ्रष्टाचार निरोधी नीति, सार्वजनिक प्रशासन, सर्तकता, वित्ता और

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. **ISSN: 2581-3501**

बैकिंग, कानून व प्रबधन में न्यूनतम 25 वर्षों का विशिष्ट ज्ञान व अनुभव हो।

- आठ अधिकतम सदस्यों में से आधे न्यायिक सदस्य तथा न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्य अनुजाति/अनु0 जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक और महिला श्रेणी से होने चाहिए।
- लोकपाल सदस्य का न्यायिक सदस्य या तो सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए।
- गैर न्यायिक सदस्य को सार्वजनिक प्रशासन, सर्तकता वित्त, बीमा, बैकिंग, कानून व प्रबंधन में न्यूनतम 25 वर्षों का विशिष्ट ज्ञान एवं अनुभव हो।
- लोकपाल संस्था के चेयरपर्सन और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक है।
- सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारीश पर राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी।
- चयन समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित कोई न्यायाधीश और एक प्रख्यात न्यायविद से मिलकर गठित होगी।
- लोकपाल तथा सदस्यों के चुनाव के लिए चयन समिति कम से कम आठ व्यक्तियों का एक सर्च पैनल गठित करेगी।

लोकपाल विधेयक के मुख्य बिन्दु

1) केन्द्र में लोकपाल की नियुक्ति एवं राज्यों में एक साल के भीतर लोकायुक्तों का गठन होगा।
2) लोकपाल का चयन प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की समिति करेगी।
3) प्रधानमंत्री भी लोकपाल के दायरे में होंगे, जबकि प्रधानमंत्री को लेकर होनेवाली शिकायतों को निपटाने की विशेष प्रक्रिया होगी।
4) सरकारी कर्मचारी भी इस दायरे में लाये गये है तथा धार्मिक संस्था को छोड़कर अन्य सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को भी शामिल किया गया है, जो जनता से पैसे लेती हो या विदेशों से फण्ड लेती है या जिनकी आय का स्तर एक निश्चित सीमा से ज्यादा हो।
5) पूछताछ 60 दिनों के भीतर होगी और पूरी जाँच 6 माह में पूरी होगी। जाँच के बाद चार्जशीट दाखिल होगी। लोकपाल की एक अभियोजन शाखा होगी या जाँच एजेंसियों को विशेष अदालत में अभियोजन चलाने के लिए अधिकार होगा।
6) लोकपाल से जुड़े मामले में सी0 बी0 आई0 लोकपाल के अधीन होगी।
7) विधेयक में झूठी या फर्जी शिकायत करने वालों को एक साल की सजा तथा एक लाख रूपये के जुर्माने का प्रावधान है। सरकारी कर्मचारियों के लिए सात साल की सजा का प्रावधान है। अपराधिक कदाचार या आदतन भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वालों को 10 साल की सजा का प्रावधान है।
8) लोकपाल का अपना संविधान होगा। इसमें एक चेयरमैन तथा आठ सदस्य होंगे। उनमें से चार न्यायिक सदस्य होंगे। अन्य चार सदस्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य चार सदस्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य अल्प संख्यक पिछड़ा वर्ग एवं महिला वर्ग से होंगे।
9) विधेयक में भ्रष्टाचार के जरिये अर्जित संपत्ति की कुर्की करने और जब्त करने के प्रावधान शामिल किये गये है, चाहे अभियोजन की प्रक्रिया अभी चल रही है।
10) ईमानदार और सरकारी कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जायेगी, आदि।

लोकपाल एवं लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2016:

जुलाई 2016 में सं लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. ISSN: 2581-3501

पारित किया। विधेयक के प्रमुख बातें इस प्रकार हैः–

- इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि विपक्ष के मान्यता प्राप्त नेता के अभाव में लोकसभा में सबसे बड़े एकल विरोधी दल का नेता चयन समिति का सदस्य होगा।
- इसके द्वारा वर्ष 2013 के अधिनियम की धारा 44 में भी संशोधन किया गया जिसमें प्रावधान है कि सरकारी सेवा में आने के 30 दिनों के भीतर लोकसेवक को अपनी सम्पत्तियों और दायित्वों का विवरण प्रस्तुत करना होगा। संशोधन विधेयक के द्वारा 30 दिन की समय सीमा समाप्त कर दी गयी। अब लोकसेवक अपनी संपत्तियों और दायित्वों की घोषणा सरकार द्वारा निर्धारित रूप में एवं तरीके से करेंगे।
- संशोधन विधेयक ट्रस्टियों और बोर्ड़ के सदस्यों को भी अपनी तथा पति/पत्नी को परिसंपत्तियों की घोषणा करने के लिए दिये गये समय में भी बढ़ोत्तरी करता है, उन मामलों में जहाँ एक करोड़ रूपये से अधिक सरकारी या 10 लाख रूपये से अधिक विदेशी धन प्राप्त करते हो।

लोकपाल का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ

- लोकपाल के क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य समूह ए0 बी0 सी0 और डी0 अधिकारी तथा केन्द्र सरकार के अधिकारी शामिल है।
- लोकपाल का प्रधानमंत्री पर क्षेत्राधिकार केवल भ्रष्टाचार के उन आरोपों तक सीमित रहेगा जो अंतराष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु उर्जा और अंतरिक्ष से संबद्ध न हो।
- संसद में कही गयी किसी बात या दिये गये वोट के मामले में मंत्रियों या सांसदों पर लोकपाल का क्षेत्राधिकार नहीं होगा।
- इराके क्षेत्राधिकार गें वह व्यक्ति भी शागिल है जो ऐसे किसी निकाय/समिति का प्रभारी (निदेशक/प्रबंधक सचिव) है या रहा है जो केन्द्रीय कानून द्वारा स्थापित हो या किसी अन्य संस्था का जो केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित/नियमित हो और कोई अन्य व्यक्ति जिसने घूस देने या लेने में सहयोग दिया हो।
- लोकपाल अधिनियम यह आदेश देता है कि सभी लोकसेवक अपनी तथा अपने आश्रितों की परिसंपत्तियों व देनदारियों को प्रस्तुत करें।
- इनके पास C.B.I. की जाँच करने तथा उसे निर्देश देने का अधिकार है।
- यदि लोकपाल ने कोई मामला C.B.I. को सौंपा है तो बिना लोकपाल की अनुमति के ऐसे मामले के जाँच अधिकारी को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।
- लोकपाल की जाँच इकाई को सिविल न्यायालयय के समान शक्तियाँ होगी।
- विशेष परिस्थितियों में लोकपाल को उन परिसंपत्तियों आमदनी, प्राप्तियों और लाभों को जब्त करने का अधिकार है जो भ्रष्टाचार के साधनों से पैदा या प्राप्त की गयी है।
- लोकपाल को ऐसे लोकसेवक के स्थानांतरण या निबंधन की सिफारीश करने का अधिकार है जो भ्रष्टाचार के आरोपों से जुडा हो।
- लोकपाल को प्राथमिक जाँच के दौरान रिकार्ड को नष्ट करने से रोकने का निर्देश देने का अधिकार है।

लोकपाल अधिनियम को लागू करने से संबंधित चुनौतियाँ

लोकापाल के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती सक्षम और ईमानदार कर्मचारियों से युक्त प्रशासनिक व्यवस्था का अभाव है। वर्तमान सरकारी तंत्र कदम कदम पर अनिश्चितताओं एवं भ्रष्टाचार का शिकार है। उन शिकायतों का उचित समय पर निराकरण आवश्यक है अन्यथा लोकपाल संस्था जन आकाक्षाओं पर खरी नहीं उतरेगी। अभी स्वतंत्र लोकपाल व्यवस्था के लिए बुनियादी ढ़ांचा पूरी तरह तैयार नहीं है। प्रशासनिक अनियमितताओं की सूचना देने वालों को संरक्षण

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. **ISSN: 2581-3501**

देने की कोई पुख्ता विधिक व्यवस्था नहीं है, जिसके अभाव में लोकपाल व्यवस्था का मकसद पूरा नहीं होगा।

प्रधानमंत्री लोकपाल चयन प्रक्रिया का हिस्सा है। लोकपाल प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायतों पर किस हद तक जाँच व कार्यवाही कर पायेंगे, यह विचारणीय विषय है। साथ ही साथ लाखों लोक सेवकों के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों को जल्द से जल्द निस्तारित करने की चुनौति लोकपाल के समक्ष होगी।

लोकपाल व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए सूचना सम्पन्न व प्रतिबद्ध समाज की आवश्यकता है। उच्च पदों पर घोटालों से लेकर आर्थिक व्यवहार संबंधी शिकायतों से निपटने की चुनौती भी होगी नहीं तो यह व्यवस्था, समानन्तर नौकरशाही व्यवस्था बन जायेगी।

लोकपाल संस्था को भ्रष्टाचार निवारण की सर्वोच्च संस्था के रूप में स्वीकार करते हुए इसे पूर्णतः स्वशासित व स्वतंत्र बनाने की आवश्यकता है जिससे जनता के मन में इसके प्रति विश्वास उत्पन्न हो सके।

निष्कर्ष एवं सुझाव

आज भारत में भ्रष्टाचार की स्थिति यह है कि भारत रूपी पेड़ की जड़ों को भ्रष्टाचार रूपी कीड़ों ने खोखला कर दिया है। ऐसी स्थिति में क्या नया लोकपाल भारतीय समाज को भ्रष्टाचार से मुक्त करा पायेगा या फिर बाकी सरकारी एजेंसियों की तरह यह भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जायेगा? एक सशक्त अधिकार सम्पन्न लोकपाल काफी हद तक भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला सकता है। परन्तु यहाँ यह चिन्ता भी स्वाभाविक है कि जब भारतीय समाज की नस–नस में भ्रष्टाचार घर कर चुका है तब लोकपाल से भ्रष्टाचार की मुक्ति की आशा कैसे की जा सकती है?

जो नया कानून बना है उससे बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती है। प्रधानमंत्री को इसके दायरे में लाया गया है, लेकिन न्यायापालिका को इससे अलग रखना उचित नहीं है। सिटीजन चार्टर भ्रष्टाचार से लोगों को राहत देने के लिए अनिवार्य है क्योंकि उसके तहत ही तय किये जाते है कि किसी व्यक्ति का समय पर सकरारी कार्यालयों में काम होता है या नहीं। इस संदर्भ में सकारात्मक बात यह है कि सरकार ने सिटीजन चार्टर के लिए अलग स विधेयक लान का आश्वासन दिया है।

लोकपाल के गठन के साथ ही दूसरे अनेक कदम उठाने की जरूरत है तभी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कामयाब हो पायेगी। सर्वप्रथम, लोकपाल कानून को अन्य कानूनों जैसे, सिटीजन चार्टर कानून, ब्हिसिल संरक्षण कानून, शिकायत निवारण कानून आदि द्वारा समर्थित किया जाय। तत्पश्चात् भ्रष्टाचार निवारण कानून में संशोधन कर भ्रष्टाचार की परिभाषा को और व्यापक बनाया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार की मौजूदा परिभाषा काफी सीमित है जो इसे निजी लाभ या अवैध कमाई के लिए सर्वाजनिक अधिकार के दुरूपयोग तक सीमित रखती है। वर्तमान लोकपाल विधेयक में संशोधन करके इसके दायरे में उन सभी निजी सत्ताओं को भी लाया जाना चाहिए जिनपर सरकारी ठेका या टेंडर हासिल करके के लिए भ्रष्ट तरीके अपनाने के आरोप लगते है। राजनीतिक दलों के कॉरपोरेट चंदों को भी लोकपाल की जाँच के दायरे में लाने की आवश्यकता है।

लोकपाल के अलावा भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कुछ अन्य उपाय किये जाने चाहिए, जैसे–

पहला, एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन ताकि न्यायापालिका के आचरण को उसके दायरे में लाया जा सके।

दूसरा, सिटीजन चार्टर की हिफाजत के लिए कानून ताकि सार्वजनिक शिकायतों को दूर किया जा सके।

तीसरा, संविधान के अनुच्छेद 105 में संशोधन, ताकि सांसदों को भ्रष्टाचार विरोधी जाँच के दायरे में लाया जा सके।

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. ISSN: 2581-3501

चौथा, राज्यों में लोकायुक्त का गठन ताकि राज्य स्तर पर लोकसेवकों को इसके दायरे में लाया जा सके।

पांचवा, कालेधन का पता लगाने के लिए कदम उठाये जाये और विदेशों में अवैध रूप से जमा धन का पता लगाने के लिए कदम उठाये जाये और विदेशो में अवैध रूप से जमा धन जब्त करने की व्यवस्था की जाये।

छठा, भ्रष्टाचार के निवारण के लिए सबसे पहले नागरिकों की सोच बदलना बहुत जरूरी है। आज सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार में डूबा है क्योंकि कुछ व्यक्ति अपने थोड़े से लाभ के लिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं तथा मतदाता गलत व्यक्तियों को चुनकर जबावदेही वाले पदों पर आसीन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने के लिए नागरिकों को शिक्षित एवं अधिकारों के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। तदुपरान्त सरकारी तंत्र एवं नागरिकों में जबावदेही की भावना का विकास करके भ्रष्टाचार के दलदल से देश के बाहर निकाला जा सकता है।

संदर्भ

1. डॉ फाडिया बी0 एलः लोक प्रशासन, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा 2009.
2. जन लोकपाल विधेयक एवं भ्रष्टाचारः प्रतियोगिता दर्पण, अगस्त 2011.
3. जनलोकपाल बनाम लोकपालः प्रभात खबर, 22.08.2011.
4. एक मजबूत लोकपाल केः i सक्सीड, अक्टूबर 2011.
5. लोकपाल कानूनः सिविल सर्विसेज क्रोनिकल, फरवरी 2014.
6. लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011ः प्रतियोगिता दर्पण फरवरी 2014.

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. **ISSN: 2581-3501**